

01/5/26

पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रति संख्या 02
 राधेश्याम पुत्र गिराज उपस्थित। वादी वकील द्वारा
 वादीगण एवं प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादीगण
 की ओर पहचान की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण
 की ओर से इस आशय का राजीनामा
 पेश किया गया कि ख. नं. 1141/0.01 हवेली व
 1142/0.09, 1143/0.12 गाँव कस्बा नदर प्रथम
 में स्थित है जो राधेश्याम की खालेदारी की
 आराजीयान है जो प्रतिवादी राधेश्याम को विराजत
 एवं मन्वर से प्राप्त हुई है। खसत नं.
 1141/1, 1142/9, 1143/12 बाबर रिजीन

जामशीश
 मुशरिफ
 मिश्रा
 प्रवर्तक-व by
 15/5/26
 राजेश शर्मा
 9/5/26

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

माननीय न्यायालय राजपल मुसल अजमेर में
 विपाराधीन है। दावा नदबर्तु आने पर
 अगदीश बनाम विशम्भर के खारिज
 कुरवा लेंगे। और आगे भी कोई उज्र नहीं
 रहेगा। उक्त राजीनामा हम दोनों पक्षकारों
 में हाल व बाद वारिसान पर भी लागू
 रहेगा और आगे भविष्य में कोई
 आपत्ति नहीं करेगे। खसरा नं. 1130/24,
 1131/26, 1132/23 परिवार की है व रहेगी।
 राजीनामा बाद नदीक शामिल पत्रा. है।
 राजीनामा पुनः गथा। अतः राजीनामा
 के आधार हावावासीगण खारिज किया
 जाता है।
 पत्रा. पुनः शुमार हेतु अक्ट
 के अंतर्गत आकर हाखिल एक्टर

ले
 है।

दिनांक.....
 11/11/11

50 11/11/11